

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-700591 / 2016संस्थित दिनांक-26.09.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

गजेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसुंदर उर्फ रामसुंदरसिंह तोमर

उम्र 32 साल, निवासी ग्राम खनेता थाना एण्डोरी

जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

--:: निर्णय ::--

{आज दिनांक 09.01.2018 को घोषित}

1. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.06.16 को करीब दस बजे ग्राम खनेता की पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एम0के0-7763 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर गिराकर उस पर बैठी सुमन की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती।
2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 07.07.16 को जयारोग्य चिकित्सालय से डा0 रविन्द्र न्यूरोसर्जरी विभाग द्वारा आहत सुमन पत्नी श्यामसुंदर की मृत्यु की सूचना थाना कंपू जिला ग्वालियर को दी गयी जिसके आधार पर मर्ग थाना कंपू में पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच में दिनांक 25.06.16 को मृतिका सुमन की सड़क दुर्घटना कारित हुई थी और उपचाररत रहते समय उसकी मृत्यु होने के तथ्य पाए जाने से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 ए भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मृतिका का शव परीक्षण कराया गया। दौराने विवेचना नक्शामोका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। वाहन जब्तकर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।
3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा क्लेम प्राप्त करने के लिए झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.06.16 को करीब दस बजे ग्राम खनेता की पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एम0के0-7763 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर गिराकर उस पर बैठी सुमन की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्यामसुंदर उर्फ रामसुंदर अ0सा0 1, सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 2, ब्रजेन्द्रसिंह अ0सा0 3, ऋषि अ0सा0 4, नरेन्द्र अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण में श्यामसुंदर अ0सा0 1 जो कि मृतिका सुमन के पति हैं, वे अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि एक साल पहले 8-9 बजे सुबह वे अपने हार/खेत में थे। उस समय उन्हें सूचना मिली कि पत्नी सुमनदेवी की मोटरसाईकिल से टक्कर हो गयी है जिससे शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। वह इलाज कराने ग्वालियर ले गया जहां उनकी मृत्यु हो गयी। लगभग इसी प्रकार का कथन सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 2, ब्रजेन्द्र अ0सा0 3 व ऋषि अ0सा0 4 द्वारा किया गया है। उक्त सभी साक्षी मृतिका की मृत्यु के समय घटनास्थल पर उपस्थित न होने और उन्हें दुर्घटना की सूचना मिलने का कथन करते हैं। जबकि चक्षुदर्शी साक्षी नरेन्द्र अ0सा0 5 उसे घटना की कोई भी जानकारी न होने का कथन करते हैं। मृतिका सुमन की ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु के तथ्य को अभियुक्त की ओर से कोई भी चुनोती नहीं दी गयी है। स्वयं अभियुक्त की ओर से दप्रस की धारा 294 के अधीन शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0सी0 1 की सत्यता को स्वीकार किया है। इस प्रकार से प्रकरण में अभिलेख पर मृतिका सुमन की मृत्यु शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0सी0 1 के अनुसार होने एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0सी0 1 दिनांक 08.07.16 को किए जाने का तथ्य अभिलेख पर मौजूद है। ऐसे में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 07.07.16 को मृतिका सुमन की सड़क दुर्घटना दिनांक 25.06.16 में उद्भूत चोटों के फलस्वरूप मृत्यु कारित हुई थी।

7. प्रकरण में अभियोजन के किसी भी साक्षी ने मृतिका के अभियुक्त के साथ मोटरसाईकिल पर बैठे होने तथा अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतिका को गिरा देने के संबंध में कथन नहीं किया है। श्यामसुंदर अ0सा0 1, सुरेन्द्र अ0सा0 2, ब्रजेन्द्र अ0सा0 3, ऋषि अ0सा0 4 ने उनके समक्ष कोई दुर्घटना कारित न होने और मात्र सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने का कथन किया है। अभिसाक्ष्य में यह भी बताने में अस्मर्थ हैं कि किस वाहन या मोटरसाईकिल से दुर्घटना कारित हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे

जाने पर भी सभी साक्षियों ने अभियुक्त के द्वारा दिनांक 25.06.16 को करीब 10 बजे मोटरसाईकिल एम0पी0-30 एम0के0-7763 द्वारा चलाकर गोहद तरफ ले जाने और तत्पश्चात् तेजी व लापरवाही से चलाकर गिरा देने के सुझाव से इंकार किया है। उक्त साक्षियों द्वारा उनके पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी0 6 लगायत 9 के विनिर्दिष्ट भाग के कथन पुलिस को देने से इंकार किए हैं। अभियोजन द्वारा घटना का अभिकथित चक्षुदर्शी साक्षी नरेन्द्र अ0सा0 5 भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर दिया गया है। वह भी इस सुझाव से इंकार करता है कि दिनांक 25.06.16 को सुबह दस बजे खनेता कीपुलिया के पास अभियुक्त द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर श्रीमती सुमन को गिरा दिया जिससे उन्हें चोटें कारित हुईं। यह साक्षी भी पुलिस कथन प्र0पी0 10 के विनिर्दिष्ट भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार करता है।

8. प्रकरण में अभियोजन यह तथ्य अवश्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि मृतिका सुमन की मृत्यु सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न चोटों के इलाज के दौरान कारित हुई थी। किन्तु अभिकथित सड़क दुर्घटना अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपन पूर्ण कृत्य से उद्भूत हुई हो, ऐसा कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581 : 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और

दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

9. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैं कि अभियुक्त ने दिनांक 25.06.16 को करीब दस बजे ग्राम खनेता की पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एम0के0-7763 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर गिराकर उस पर बैठी सुमन की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बंध की कोटि में नहीं आती। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

11. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एम0पी0-30 एम0के0-7763 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

12. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपयोग)